

॥ 6/24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित  
 वादी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादी  
 के पिता जीवाराम की मृत्यु हो चुकी है।  
 जीवाराम की मृत्यु उपरोक्त वादग्रस्त खसरा  
 सं. 1588/1 व 1570/1 ग्राम खिमेल में  
 फौतगी नामान्तरण भरा गया जिसमें जीवाराम  
 के वादी सहित समस्त विधिक वारिसान के नाम  
 राजस्व रिकॉर्ड में आ चुका है। अपने कथन के  
 समर्थन में दोनों खसरो की नवीन जमाबंदी  
 पेश की। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि  
 प्रतिवादी सं. 1 वादी के पिता हैं तथा उनकी  
 मृत्यु उपरोक्त वादग्रस्त खसरो में वादी का  
 नाम अमल करामर हो चुका है। वही प्रतिवादी  
 के द्वारा पेश जवाबदावा में भी किसी प्रकार  
 का काउण्ट क्लेम पेश कर विशेष इस्तदुआ  
 नहीं मांगी है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर  
 वादी व प्रतिवादीगण के मध्य किसी  
 प्रकार का विवाद नहीं होने व वादी द्वारा  
 मांगी गई इस्तदुआ पूर्ण होने पर खारिज  
 किया जाता है। पत्रावली नम्बर से  
 कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

11/12/24



3  
 सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
 उपखण्ड अधिकारी, बाली